


फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

संख्या :- २९९/२०२३

मन्नी देवी बनाम काली देवी

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
17.09.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता रमेश चौधरी हाजिर। अप्रार्थी संख्या 4, 5, 7, 8 स्वयं हाजिर। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3, 6, 9, 10, 11 को सम्यक तामील के उपरान्त भी हाजिर नहीं, अतः अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3, 6, 9, 10, 11 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अप्रार्थी संख्या 4, 5, 7, 8 का जवाब बन्द किया जाता है।</p> <p>प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी को सुनने के उपरान्त हम पाते हैं कि विवादित भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सहखातेदार हैं, एवं विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है।</p> <p>अतः वाद बहुलता को रोकन एवं वाद की विषयवस्तु को बनाए रखने हेतु प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 में उल्लेखित भूमि पर उभय पक्षों को ताफैसलावाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड-अधिकारी चाकसू(जयपुर)</p>	